

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:नर्सिंग/ग्रा0नर्स-2/()/09/ 612 दिनांक:- 21/8/09

आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या- नर्सिंग/ग्रा0नर्स-2/()/09/355 दिनांक- 10.8.09 के द्वारा जिन ग्रामीण नर्स श्रेणी-द्वितीय को पदस्थापन हेतु जिला जयपुर आवंटन कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, उनमें से निम्नांकित का पदस्थापन उक्त आदेश दिनांक-10.8.09 में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम के अधीन उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार एतद्वारा किया जाता है:-

क सं	अभ्यर्थी का नाम मय पिता/पति का नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	जाति वर्ग	स्त्री/पुरुष	पदस्थापन स्थान
1	यागवेन्द्र कुमार शर्मा/श्यामलाल	जयपुर	12.11.77	GEN	M	ऐडपोस्ट-बेगस, जयपुर
2	धमनसिंह यादव/छोटू राम	जयपुर	10/11/81	OBC	M	पीएचसी, रघुनाथपुरा, जयपुर
3	लीलाधर सैनी/रामलाल सैनी	जयपुर	14/07/74	OBC	M	पीएचसी, रघुनाथपुरा, जयपुर
4	रोशन लाल यादव/ भोलूराम यादव	जयपुर	02/01/75	OBC	M	ऐडपोस्ट-धानक्या, जयपुर
5	साजिद अहमद /जमील अहमद	जयपुर	09/03/75	OBC	M	पीएचसी, हनुतपुरा, जयपुर
6	राजेश कुमार लाम्बा /कालूराम	जयपुर	07/12/79	OBC	M	ऐडपोस्ट-रूण्डल, जयपुर
7	महेन्द्र कुमार मीणा/धनश्याम	जयपुर	01.07.79	ST	M	पीएचसी, कुशलपुर बांसा, जयपुर

उक्त सभी अभ्यर्थी सर्वप्रथम संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय में अपने मूल दस्तावेजों का मिलान कराकर, अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/ पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करेंगे जहां इन सभी की आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर इन्हें तत्काल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त किया जावेगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:नर्सिंग/ग्रा0नर्स-2/()/09/ 612 दिनांक:- 21/8/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (जनस्वास्थ्य/एडस/प.क.) निदेशालय।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जयपुर

5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम को प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय के आदेश संख्या-10.8.09 में उल्लेखित शर्तों की अक्षरशः पालना करते हुये आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर उक्त ग्रामीण नर्स श्रेणी-द्वितीय को तत्काल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त करें तथा जिन ऐडपोस्टों पर ग्रामीण नर्स श्रेणी-द्वितीय का पदस्थापन कर दिया गया है, उन ऐडपोस्टों पर पूर्व से ही कार्यरत नर्स श्रेणी-द्वितीय को कार्यमुक्त कर अग्रिम पदस्थापन हेतु निदेशालय में भिजवाये।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर